"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 698] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2025 — भाद्र 10, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE/482/2025-REVENUE/7-1.— छत्तीसगढ़ कार्यपालन शासन के कामकाज संबंधी नियमों के भाग–5 के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश क्र. 2–क की मद (1) के अनुसरण में तथा इस संबंध पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मैं टंक राम वर्मा, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एतद्द्वारा सचिव या सचिव द्वारा अधिकृत विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(1) एवं 4(3) तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 23 के अधीन विचाराधीन निगरानी एवं पुनरीक्षण प्रकरणों, अभ्यावेदनों में पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी समस्त कार्यवाही जो प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक पहुंचाने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये अधिकृत करता हूँ। वे तत्पश्चात् प्रकरण में अंतिम आदेश अनुमोदन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

हस्ता./-

(टंक राम वर्मा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.